न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– विनित कुमार सुखाड़िया (RAS)

वाद पत्र संख्या :– 32/2021

1. बजरंग लाल आयु 68 साल आ0 नन्दलाल जाति बलाई निवासी वार्ड नं0 2 भगत सिंह कॉलोनी के0 पाटन तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादी

बनाम

1. महावीर आयु 55 साल आ0 नन्दलाल जाति बलाई निवासी वार्ड नं0 17 पचेरवाल जी के मकान के पास के0 पाटन तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः– अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :–

1– वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
2– प्रतिवादी की और से श्री निलेश सामरिया एडवोकेट

–::निर्णय::– दिनांकः 02.08.2021

1. वादी के द्वारा दिनांक 24.06.2021 को वाद अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या 489 पुरानी 495 की भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 0.50 है0, खसरा संख्या 545 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम व माल के0 पाटन पटवार हल्का के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आराजी खाता सं. नया 489 पुरानी 495 की भूमि ख.सं. 533 रकबा 0.50 है0, खसरा संख्या 545 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम व माल के0 पाटन पटवार हल्का के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है कि सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा सहवनवश ख.सं. 533

रकबा 0.50 है0 व ख.सं. 545 रकबा 0.79 है0 नक्शा ट्रैस अनुसार दर्ज नही किया गया जो गलत है जबकि खसरा संख्या 533 रकबा 0.50 है0, खसरा संख्या 545 रकबा 0.79 है0 नक्शा ट्रैस अनुसार रकबा खाते में दर्ज किया जाना चाहिये था। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही हो इसलिए ख.सं. 533 व 545 के नक्शा ट्रैस अनुसार रकबा को दुरस्त करवाना चाहते है। जिससे वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी प्रेम बना रहे क्योंकि दोनो सगे भाई है और भविष्य में दोनो भाईयों के मध्य पारिवारिक बंटवारे को लेकर कोई वाद विवाद नही हो। वादी के द्वारा वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में नक्शा ट्रैस अनुसार खाते में रकबा दर्ज नही किया गया। इसके लिये वादी के द्वारा पूर्व में भी संबधित कार्यालय में नक्शा ट्रैस अनुसार रकबा को दुरस्त किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये लेकिन वादी के रकबे को नक्शा ट्रैस अनुसार सही नही किया गया। इस सबंध में प्रतिवादीगण से बार–बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। यही वाद कारण है जो दिनांक 20.06.2021 को पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। अन्त में प्रार्थना की गई कि ख.सं. 533 रकबा 0.50 है0 के स्थान पर दुरस्त रकबा ख.सं. 533 रकबा 0.79 है0 दर्ज किया जावे तथा खसरा संख्या 545 रकबा 0.79 है0 के स्थान पर दुरस्त रकबा ख.सं. 545 रकबा 0.50 है0 दर्ज किये जाने की विधिवत रूप से घोषणा की जावे।

3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश कर वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और से दिनांक 02.08.2021 को राजीनामा पेश किया गया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 02.08.2021 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या 489 पुरानी 495 की भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 0.50 है0, खसरा संख्या 545 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम व माल के0 पाटन पटवार हल्का के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है जिसमें ख.सं. 533 रकबा 0.50 है0 के स्थान पर ख.सं. 533 रकबा 0.79 है0 तथा ख.सं. 545 रकबा 0.79 है0 के स्थान पर ख.सं. 545 रकबा 0.50 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा यथावत दर्ज रहेगा।

तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
के० पाटन

(विनित कुमार सुखाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

<u>डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई</u>

<u>(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)</u>

<u>(Civil Procedure Code Appendix 'd' -1)</u>

अज अदालत इजलास – विनित कुमार सुखाडिया

उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन (आर.ए.एस.)

बजरंग लाल v/s महावीर

<u>वादः– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि</u>

<u>मुकदमा नम्बर :: 32/2021</u>

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री निलेश सामरिया की उपस्थिति में आज दिनांक 02.08.2021 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या 489 पुरानी 495 की भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 0.50 है0, खसरा संख्या 545 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम व माल के0 पाटन पटवार हल्का के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है जिसमें ख.सं. 533 रकबा 0.50 है0 के स्थान पर ख.सं. 533 रकबा 0.79 है0 तथा ख.सं. 545 रकबा 0.79 है0 के स्थान पर ख.सं. 545 रकबा 0.50 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा यथावत दर्ज रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत .... ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 02/08/2021 को जारी की गई।

(मोहर)

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(विनित कुमार सुखाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन